4.75 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करेगा बजट

वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर सीएम के सामने दिया गया प्रेजेंटेशन

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 10 फरवरी. वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार का बजट 4 लाख 75 हजार करोड़ रुपए के आंकड़ को पार कर सकता है. बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 15 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है.

वहीं, राजकोषीय घाटे को सरकार 4.50 फीसदी के दायरे में लाने की कोशिश करेगी. राज्य सरकार का बजट 18 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा. इससे एक दिन पहले मप्र का आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होगा. नए वित्तीय वर्ष के बजट को लेकर मंगलवार को मंत्रालय में पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया, बाद में पूरी कैबिनेट के सामने अपर मुख्य सचिव वित्त मनीष रस्तोगी ने प्रेजेंटेशन दिया. ये प्रजेंटेशन लगभग एक घंटे तक चला. इस दौरान सभी विभागों से जुड़ी प्रावधानों के बारे में बताया गया. मौजूदा वित्तीय वर्ष का बजट 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का है. इस हिसाब से देखें तो नये बजट में कम से कम 54 हजार करोड़ से अधिक की बढ़ोतरी होगी. बजट में सबसे अधिक राशि का प्रावधान यदि किसी एक योजना के लिए होगा तो वह मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना होगा, जिसके लिए इस बार राज्य सरकार 21 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि का प्रावधान करेगी. इसी तरह एक बार फिर जल जीवन मिशन के लिए भारी-भरकम राशि का इंतजाम करने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार के कंधे पर होगी, ये इसलिए कि अब तक केंद्र सरकार ने मिशन के तहत हुए कामों का 8 हजार करोड़ रुपए का बकाया केंद्र सरकार से नहीं मिला है.

> हांलाकि राज्य सरकार इस मामले में केंद्र से लगातार संवाद बनाए हुए है. बजट प्रेजेंटेशन को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्तावों में सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास तथा कल्याण का ध्यान रखा गया है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बजट प्रस्तावों को वर्तमान परिस्थितियों में बेहतर बताते हुए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के दृष्टिकोण तथा प्रस्ताव तैयार करने में विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा किए गए परिश्रम की सराहना की.

एनसीएल निगाही परियोजना में मजदूरी घोटाला

पीड़ित मजदूर ने कलेक्टर से लगाई गुहार

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 10 फरवरी। एनसीएल निगाही परियोजना के अंतर्गत कार्यरत निजी कंपनी क्लाउट टेक प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा पर मजदूरों के शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

ग्राम जैतपुर चौकी जयन्त निवासी गरीब मजदूर विनोद कुमार साकेत ने कलेक्टर को आवेदन देकर आरोप लगाया है कि कंपनी द्वारा उसे पिछले 15-16 माह से पूरी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया और आवाज उठाने पर अकारण ट्रांसफर कर काम से बाहर कर दिया गया। पीड़ित मजदूर के अनुसार उसकी निर्धारित मासिक मजदूरी 19,130 रुपये है, लेकिन ठेकेदार द्वारा उसे केवल 10,560 रुपये प्रतिमाह दिए गए। शेष राशि हड़प ली गई। जब मजदूर ने अपनी पूरी मजदूरी की मांग की तो ठेकेदार व कंपनी के जिम्मेदारों ने गाली-गलौज की और विवाद का वीडियो भी बनाए, जो अब सबूत के रूप में मौजूद है। मजदूरी मांगना ही मजदूर के लिए अपराध बन गया और बदले में उसे जबरन अन्य स्थान पर ट्रांसफर का पत्र थमा दिया गया। विनोद साकेत ने बताया कि उसने कई बार जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई, जिसकी रसीदें 14 अक्टूबर 2025, 4 नवम्बर 2025, 16 दिसम्बर 2025, 13 जनवरी 2026 और 27 जनवरी 2026 की मौजूद हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, उसने शहडोल स्थित सहायक श्रमायुक्त केन्द्रीय कार्यालय में भी आवेदन दिया, फिर भी कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

पीड़ित मजदूर का आरोप है कि कंपनी ने उसे काम से निकालकर उसके परिवार को भुखमरी के कगार पर ला दिया है। रोजगार छिनने से उसके सामने जीवन-यापन का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। उसने प्रशासन से मांग की है कि या तो उसे पुन: उसी कंपनी में काम पर रखा जाए या फिर उसकी पूरी बकाया मजदूरी 19,130 रुपये प्रतिमाह की दर से तत्काल दिलाई जाए। यह मामला एनसीएल जैसी बड़ी परियोजना में ठेका कंपनियों की मनमानी और मजदूर शोषण की पोल खोलता है।

निकाय और पंचायत चुनाव में आईटी का बेहतर उपयोग करेगा आयोग

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने की समीक्षा बैठक

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 10 फरवरी. मप्र राज्य निर्वाचन आयोग आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायत आम निर्वाचन-2027 में सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग करेगा. इससे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने में मदद मिलेगी.

राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने मंगलवार को इस कार्य की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां समय-सीमा में पूरी करें. बैठक में केन्द्र सरकार की संस्था एनआईसीएसआई के प्रतिनिधि ने स्थानीय निर्वाचन में मतदाता, मतदान, ट्रेकिंग टूल, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक एवं एआई. आधारित मतदाता सूची एवं मतदाता सत्यापन सहित अन्य सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों पर विस्तार से प्रेजेंटेशन दिया. उन्होंने आयोग के अधिकारियों की शंकाओं का समाधान भी किया. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग दीपक सिंह ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचन प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग से कुछ अलग है. इसलिए इसे ध्यान में रखकर ऐप बनायें.

गरोठ पुलिस की त्वरित कार्रवाई

गरोठ. मंदसौर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के निर्देश पर थाना गरोठ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वृद्ध व्यक्ति पर फायरिंग कर हत्या का प्रयास करने वाले अज्ञात आरोपियों की पहचान कर 24 घंटे के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोठ श्रीमती हेमलता कुरील एवं एसडीओपी गरोठ विजय कुमार यादव के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी निरीक्षक हरीश मालवीय के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया. घटना 08-09 फरवरी की रात्रि की है, जब ग्राम बालोदा निवासी गणपतलाल पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

बरका पटवारी के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा

पैसे बिना नहीं होता कोई काम, तीन साल से जमे पटवारी पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 10 फरवरी। देवसर तहसील के ग्राम बरका हल्का नंबर 29 में तैनात पटवारी रामखेलावन सिंह के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा आज दिन मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में फूट पड़ा।

दर्जनों किसान शिकायत लेकर पहुंचे और आरोप लगाया कि पटवारी बिना पैसे लिए कोई भी सरकारी काम नहीं करता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जमीन बंटवारा, नक्शा तरमीम और खसरा सुधार जैसे जरूरी कार्य महीनों तक लटकाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि तीन वर्षों से एक ही स्थान पर जमे पटवारी ने भ्रष्टाचार को आदत बना लिया है।

कई किसानों ने बताया कि रिश्वत देने के बाद भी फाइलें धूल खा रही हैं। इससे किसानों को मानसिक तनाव के साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। प्रशासन से कई बार शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे गांव में आक्रोश और अविश्वास गहराता जा रहा है। कलेक्टर को सौंपे गए आवेदन में विजय जायसवाल, रामजी गुप्ता, राजेश जायसवाल, प्रेमसागर जायसवाल सहित अनेक ग्रामीणों ने पटवारी को तत्काल हटाने और निष्पक्ष जांच की मांग की।

> **महिलाएं तेजी से सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही हैं : राजेन्द्र**
>
> **सिंगरौली,** जल संवर्धन अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सोखता गड्ढों के निर्माण पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर जल संरक्षण की तकनीकों की जानकारी प्राप्त की।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक देवसर राजेंद्र मेश्राम ने कहा कि महिलाएं तेजी से सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही हैं। आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं में अपने गांव के विकास तथा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, जो ग्रामीण क्षेत्र के सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने महिलाओं से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया।

भ्रामक नंबर प्लेटों पर लगे रोक

नवभारत न्यूज

चाकघाट 10 फरवरी, परिवहन विभाग की उदासीनता एवं लापरवाही के कारण चार पहिया अथवा बाइक में कुछ लोग इस प्रकार का भ्रमित करने वाला नंबर प्लेट लगाकर चलते हैं मानो की उन्होंने अत्यंत ही कलात्मक डिजाइन से नंबर लिखा कर अपना रसूक प्रदर्शित कर रहे हो, किंतु इस तरह के नंबर प्लेट वाले वहां से कुछ अनहोनी या प्रतिबंधित कार्य हो जाए तो शासन-प्रशासन इसकी खोजबीन किस आधार पर करेगा।

इसके अलावा शासकीय वाहनों में बिना अधिकारी के उपस्थिति के हूटर को बजाना, एंबुलेंस में बिना मरीज के तीव्र गति से सायरन बजाते हुए मार्केट के बीच से वाहन को ले जाना इत्यादि समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी महोदय से मांग है, कि इस प्रकार के भ्रामक नंबर प्लेटों पर तत्काल कार्यवाही कर उन्हें सामान्य तरीके से समझ में आने वाले डिजिट(अक्षरों) से नंबर लिखाकर वाहनों पर लगाने की सख्त हिदायत देना चाहिए, जिससे सामान्य जनमानस को उनके वाहन का नंबर स्पष्ट रूप से पढ़ने में आ सके ।

सीआरपी रिटायर की पत्नी आशा साकेत ने थाना में दी शिकायती आवेदन

सिरमौर 10 फरवरी, थाना सिरमौर अंतर्गत ग्राम पंचायत उमरी केप्रदीप साकेत सीआरपी रिटायर की पत्नी आशा साकेत ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताई की मेरे पति प्रदीप साकेत, ससुर मन विश्राम साकेत एवं मेरे ऊपर स्वयं दिनांक 08/02/2026को शाय 05बजे के लगभग राम प्यारी साकेत पिता खो?ऊ साकेत एवं उनकी पत्नी शांति साकेत श्रीनिवास साकेत शिवकुमार साकेत रामनिवास शेकट विनोद साकेत सभी के पिता सूर्य दीन साकेत एवं उनके घर के पुत्र एवं पुत्रीयों के द्वारा एक राय होकर टांगी, लाठी डंडा एवं अपने छत से पत्थर मारे जिससे मन विश्राम साकेत के दाहिने हाथ में टांगे की नोक से हाथ के पंजे में गंभीर चोट आई मेरे पति प्रदीप साकेत के सर एवं पैर पर चोट आई एवं मेरे पीठ में लाठी डंडा से वार किया गया जिससे मेरे चोट के निशान बने हैं इतना ही नहीं प्रदीप साकेत का कहना है कि मेरे पिता एवं मेरी पत्नी एवं घर के अन्य सदस्यों को तेजाब डालकर जला देने की धमकी दी जा रही है थाना में रिपोर्टदर्ज कराने आये हैं जब मीडिया ने कहां. रिपोर्ट कल की. घटना हैं और आज आ रहे हैं तब पीड़ित ने देर से आने का कारणबताया की हम लोगों को घेराबंदी करके रखे थे जिस कारण से आज थाना सिरमौर में आकर मेरी पत्नी आशा साकेत हम लोग थाना प्रभारी महोदय जी को एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं वहीं पुलिस का कहना है आवेदन ले लिया गया है जांच कर जो उचित होगा कार्रवाई की जावेगी.

दुष्कर्मी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

छिंदवाड़ा. मासूम बालिका के साथ दुष्कृत्य करने के मामले में आज न्यायालय ने अपना फैसला सुनते हुए दुष्कर्मी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाया है. घटना 25 जून 2025 के दोपहर करीब 12 बजे की बात है मासूम बालिका के पिता मजदूरी करने गये थे और मां घर में नहीं थी फिर जब मां वापस घर आयी तब मां ने देखा कि उसकी 4 साल की बेटी घर पर नहीं है तब मोहल्ले वालों ने बताया कि आरोपी दुर्गेश लड़की को डेम तरफ लेकर गया है तब बालिका की मां तुरंत डेम पहुंची वहा देखा कि लोगों की भीड़ लगी थी और बालिका बहुत रो रही थी. उसके साथ दुष्कर्म हुआ था.

नाम परिवर्तन सूचना

मै राजीव सिंह भदौरिया पिता महेन्द्र सिंह भदौरिया उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम बंशीपुर थाना मैहर तह .मैहर जिला मैहर म.प्र. का निवासी होकर बहलफ सूचित कर रहा हूं कि मेरा आधार कार्ड नं.641805673359 है, मै अपने पासपोर्ट को रिनू करना चाहता हूं जिसमें मेरा नाम राजीव सिंह लेख है जबकि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड व समग्र आईडी में मेरा नाम राजीव सिंह भदौरिया है, उक्त दोनों नाम राजीव सिंह भदौरिया और राजीव सिंह दोनों नाम मेरे ही हैं यानी एक ही व्यक्ति के हैं अलग-अलग नहीं है.

पेज एक का शेष

एमपी में अब परिवार पेंशन का बढ़ा दायरा

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और ई-सेवा पुस्तिका संबंधी प्रावधान किया गया है. केन्द्र तथा मप्र शासन की पूर्व सेवाओं को जोड़ा जायेगा. निलम्बन अवधि में अभिदाता तथा नियोक्ता के अंशदान का प्रावधान किया है.

इसके साथ ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत एवं स्पष्ट प्रक्रिया, अंशदान की दर, गणना एवं विलंब की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारण के साथ सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र एवं मृत्यु की दशा में निकास प्रावधान किया गया है. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले शासकीय सेवकों के लिए उपदान की पात्रता निर्धारण एवं भुगतान की सुस्पष्ट प्रक्रिया होगी. विभागीय जांच (सेवा निवृत्ति उपरांत) आदेश के संदर्भ में उपदान से वसूली संभव होगी.

विभागीय जांच की अवधि में नियोक्ता के अंशदान का भुगतान रोका जाने का प्रावधान किया गया है. इसी तरह सेवानिवृत्ति के तीन माह पूर्व अभिदाता अंशदान रोका जाना और सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय जांच संस्थित किये जाने का प्रावधान के साथ नियमों में बदलाव का अधिकार राज्य सरकार के पास रहेगा.

ये निर्णय भी लिए

- वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक जनजातीय कार्य और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की निरंतरता के लिए 7,133 करोड़ 17 लाख रूपये की स्वीकृति.
- उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के आई टी संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों को तकनीकी संवर्ग की प्रचलित और भावी भर्ती प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए सिर्फ एक बार के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की स्वीकृति प्रदान की गई. वर्तमान में अनारक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष और आरक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित है.

कार्यालय प्राचार्य, रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

(शासन द्वारा स्वाशासित घोषित)

दूरभाष: 07662-233478 फैक्स : 07662-233478

बेबसाइट : http://www.recrewa.ac.in, ईमेल : principalrecrewa@rediffmail.com

क्रमांक / आर.ई.सी.आर / मैके ./ निविदा / लैब उपकरण / 2026/ 321 रीवा, दिनांक 05/02/26

ई - निविदा आमंत्रण सूचना (द्वितीय आमंत्रण)

प्राचार्य रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा म.प्र. द्वारा मैकेनिकल इंजी. विभाग मे उपकरणों (Exhaust gas analyser and smoke meter) का क्रय करने बावत पात्र फर्मों से एम पी ई टेण्डर पोर्टल (ऑन लाइन पद्धति) के माध्यम से ई निविदाये (द्वितीय आमंत्रण) आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र की विस्तृत जानकारी मप्र शासन के ई टेण्डरिंग पोर्टल (www.mptenders.gov.in) पर उपलब्ध है । निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 250 .00 रूपये (दो सौ पचास रूपये) है जिसे ईपोर्टल पर जमा किया जाना है। निविदायें जमा करने की अंतिम तिथि 25/02/2026 (बुधवार) शाम 5 .00 बजे तक है । ई निविदायें दिनांक 26/02/ 2026 (गुरूवार) को शाम 5-30 बजे प्राचार्य कक्ष में खोली जावेंगी। भविष्य में उक्त टेण्डर में संशोधन / शुद्धि पत्र या निविदा जमा करने की अंतिम तिथि में परिवर्तन संबंधि कोई भी सूचना सिर्फ ई टेण्डर पोर्टल पर ही प्रकाशित की जावेगी ।

प्राचार्य
रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय
रीवा (म.प्र.)

G-25679/25

कार्यालय कलेक्टर, जिला सतना एवं प्रदेन उपसचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग सतना

क्रमांक- 192 / भू अर्जन / 2026 सतना, दिनांक : 05/02/2026

अधिसूचना

म0प्र0पा0ज0क0लि0 सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम मझियार कोठार तहसील रामपुरबाघेलन जिला सतना म0प्र0 की निजी भूमियो का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने, साथ ही अन्य विभाग / स्थानीय निकाय द्वारा दी गई सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक - 4 अनुसार वापस की जाना है ।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला - सतना (ख) तहसील - रामपुर बाघेलान (ग) नगर / ग्राम - मझियार कोठार (घ) क्षेत्रफल / रकबा -38.187 हे0

सरल क्रमांक	वापसी योग्य खसरा क्रमांक	वापसी योग्य रकबा (हेक्टेयर)	सरल क्रमांक	वापसी योग्य खसरा क्रमांक	वापसी योग्य रकबा (हेक्टेयर)
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1	38	0.295	101	78	0.198
2	43	0.131	102	79	0.717
3	48	0.198	103	246	0.117
4	50	0.227	104	247	0.049
5	51	0.223	105	292	0.200
6	52/1	0.206	106	67	0.178
7	53/1	0.190	107	68	0.053
8	61	0.243	108	69/1	0.125
9	191	0.178	109	285	0.214
10	87	0.105	110	69/2	0.121
11	3	0.114	111	93	0.256
12	100/2	0.142	112	73	0.202
13	178	0.202	113	76/1	0.291
14	186	0.085	114	82	0.239
15	204	0.109	115	83	0.150
16	190	0.073	116	85	0.250
17	193	0.202	117	81	0.470
18	201	0.142	118	91	0.178
19	202	0.024	119	92/1	0.239
20	203	0.073	120	210/1	0.162
21	205	0.166	121	235/1	0.174
22	207/2	0.036	122	242/1	0.200
23	243	0.441	123	253/1	0.145
24	261	0.414	124	254/1	0.247
25	206	0.186	125	255/1	0.324
26	209	0.003	126	218	0.040
27	62	0.166	127	100	1.076
28	72	0.279	128	101	0.450
29	222	0.028	129	102	0.049
30	7	0.287	130	111/2	0.170
31	113	1.250	131	112/2	0.045
32	174	0.745	132	111/3	0.040
33	175	0.578	133	112/1	0.134
34	177	0.299	134	234	0.150
35	264	0.194	135	262	0.100
36	265	0.049	136	263	0.057
37	266	0.040	137	223/1	0.016
38	280	0.140	138	224/1	0.032
39	281	0.040	139	225	0.049
40	41	0.040	140	227	0.053
41	42	0.813	141	223/2	0.020
42	15	0.400	142	224/2	0.004
43	66	0.170	143	179	0.271
44	257	0.030	144	207/3	0.044
45	16	0.138	145	192/1क	0.385
46	17	0.648	146	173	0.356
47	56	0.109	147	250	0.231
48	57	0.773	148	288	0.384
49	58	0.356	149	180	0.271
50	75	0.239	150	181	0.166
51	111	0.121	151	182/2	0.170
52	230	0.049	152	184	0.376
53	231	0.065	153	198/1	0.146
54	251	0.105	154	199/2	0.405
55	252	0.125	155	183/1	0.700
56	258	0.162	156	192/2/1	0.012
57	259	0.121	157	192/2/2	0.012
58	267	0.223	158	194	0.061
59	270	0.206	159	195	0.113
60	103	1.319	160	207/1क	0.024
61	268	0.316	161	207/1ख	0.020
62	21	0.498	162	207/1ग	0.020
63	53/2	0.458	163	211	0.040
64	189	0.198	164	215	0.053
65	196	0.097	165	228/2	0.049
66	216	0.105	166	228/1	0.057
67	217	0.061	167	238	0.109
68	271	0.526	168	239/1क	0.073
69	272	0.125	169	240/1	0.036
70	273	0.069	170	269	0.045
71	274	0.040	171	286	0.275
72	275	0.134	172	290	0.182
73	276	0.247	173	229	0.125
74	279	0.267	174	70	0.109
75	74	0.344	175	71	0.279
76	25	0.547	176	86	0.097
77	121	0.300	177	88	0.045
78	244	0.040	178	89	0.024
79	245	0.320	179	90/1	0.021
80	239/1 ख	0.073	180	90/2	0.020
81	240/2	0.040	181	90/3	0.020
82	120	0.200	182	197	0.065
83	176	0.494	183	198/2	0.008
84	236	0.206	184	204	0.101
85	199/1	0.146	185	208	0.174
86	241/1	0.316	186	220	0.028
87	260	0.166	योग	186 किता	38.187
88	76/2	0.085			
89	39	0.259			
90	40	0.494			
91	44	0.113			
92	47	0.206			
93	49	0.275			
94	60	0.263			
95	45	0.093			
96	54	0.040			
97	55	0.198			
98	64	0.174			
99	65	0.231			
100	77	0.522			

म0प्र0पा0ज0क0लि0 सिरमौर निजी खाता भूमि योग रकवा -38.187 हे0

(2) कार्यपालन यंत्री, सिविल भू-अर्जन संभाग म0प्र0पा0ज0क0लि0 सिरमौर (म0प्र0) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों / उनके जायज बारिसों को भूमि वापसी हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(डॉ. सतीश कुमार एस.)
कलेक्टर
जिला सतना (म0प्र0)
एवं पदेन उपसचिव म0प्र0 शासन
राजस्व विभाग

G-25684/25